

दिनांक 13 फरवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 4,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त छोटू पुत्र ध्यानपाल निवासी ग्राम सोही थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में अपनी पत्नी की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहिसक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 21.04.2021 को थाना पहासू पर मुअसं- 162/21 धारा 498ए, 304बी भादिव व ¾ दहेज अधिनिमय पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 28.05.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, 30प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन किन्वक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटिरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 13.02.2025 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (मा0 न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त छोटू को 07 कारावास व 4,000/रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री भूपेन्द्र सिंह राजूपत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर।